पंजीकरण पुस्तिका 2018

पंजीकरण 00 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ

सेक्टर-3 रेरा सं. - UPRERAPRJ17298

सेक्टर-5 रेरा सं. - UPRERAPRJ17294

मेरठ जागृति (विस्तार) योजना सं.-11, सेक्टर - 3 व 5

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए : www.upavp.in पर लाग आन करें।

में भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

हमारा प्रयास सबको आवास

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

आवास विकास के साथ सुनियोजित विकास

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 के विशेष आकर्षण

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयीं।
- मेरठ नगर में अब तक कुल 8 योजनायें विकसित की गयीं जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार मेरठ की पॉश कॉलोनियाँ में हैं।
- कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियाँ सृजित कर आवंटित की गई।
- मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लैक्स पी०वी०एस० मॉल शास्त्री नगर योजना में।
- परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलिज तक की सुविधा।
- परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि०, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वाणिज्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय।
- परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय।
- प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुयी।
- योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियां आदि का कार्य पूर्ण तथा पूर्व पंजीकरण के विरूद्ध 2304 नग फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति में।
- लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडीकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित।
- चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित।
- प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित।
- रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन योजना के समीप प्रस्तावित।

एक परिचय

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित कराना।

परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

लोकेशन मैप

जागृति विहार

(विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ

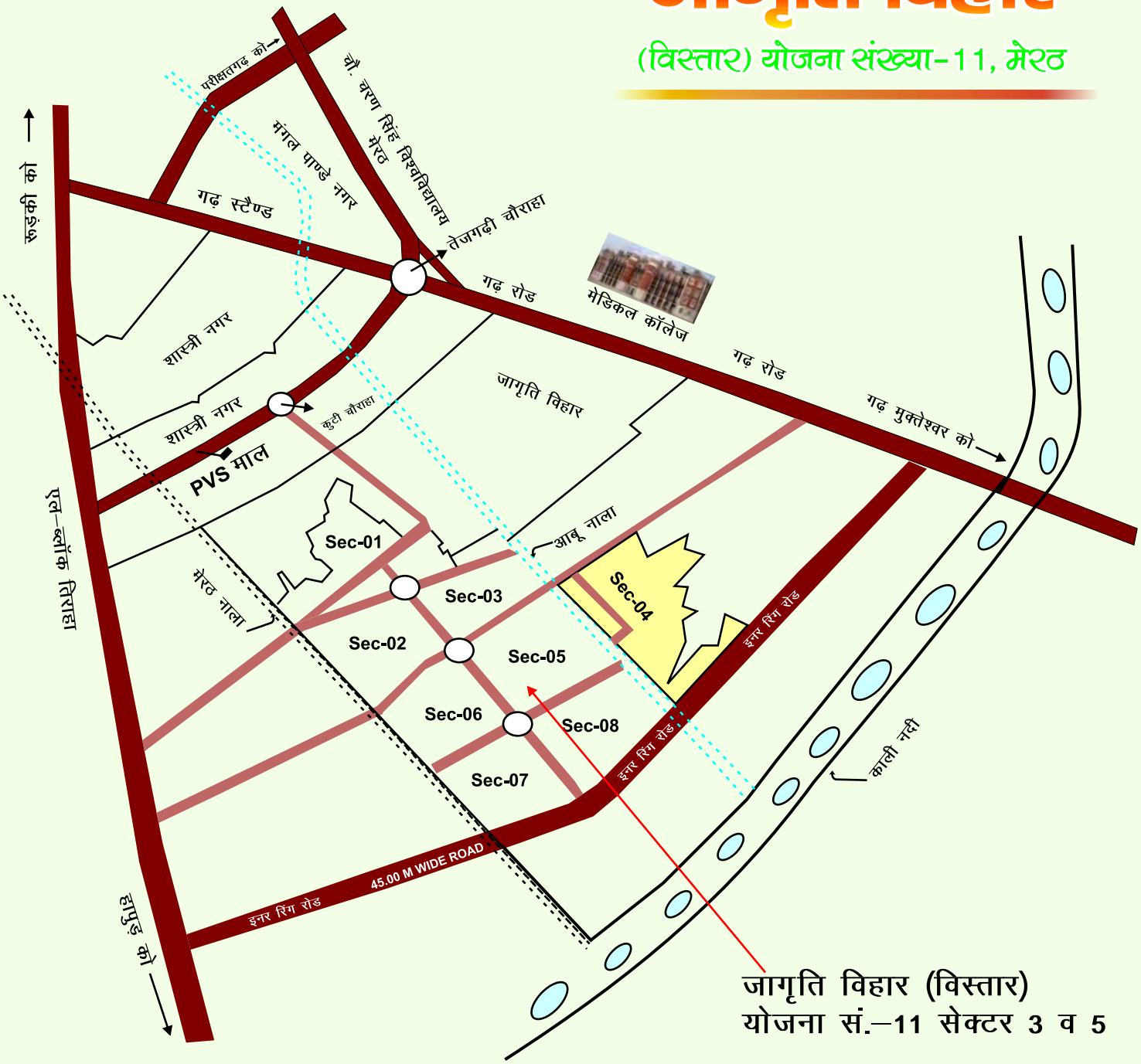

जागृति विहार

(विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ

परियोजना से सम्बन्धित घोषणायें

- परियोजना स्थल, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, जनपद-मेरठ हेतु विधिवत् अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।
- परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

जागृति विहार (विस्तार), योजना संख्या-11, मेरठ
भूखण्डों का विवरण/पंजीकरण

क्र.सं.	योजना/शहर का नाम	सेक्टर संख्या	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित मूल्य भूमिदर (प्रति व.मी. फ्री होल्ड सहित)	पंजीकरण धनराशि 5 प्रतिशत	
						सामान्य श्रेणी हेतु	आरक्षित श्रेणी हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जागृति विहार (विस्तार) योजना सं.–11 मेरठ	सेक्टर–3	144 वर्ग मी.	52	रु. 19712/–	रु. 1,42,000/–	रु. 71,000/–
		सेक्टर–5	128 वर्ग मी.	70	रु. 19712/–	रु. 1,26,200/–	रु. 63,100/–

- आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी। सम्पत्ति के मूल्य में कोई छूट नहीं होगी।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने हेतु

- भूखण्ड आवंटन के पश्चात् 50 प्रतिशत एक माह में एवं शेष धनराशि 6 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में।

एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर

- आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत होने पर भूखण्ड के कुल मूल्य का 02 माह में भुगतान करना होगा।
- आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी। सम्पत्ति के मूल्य में कोई छूट नहीं होगी।आवंटन के पश्चात् आवंटन निर्गमन तिथि से 02 माह में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 01 प्रतिशत की छूट विशेष सुविधा अनुमन्य होगी।

नोट :

- तालिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होने की दशा में तदानुसार धनराशि देय होगी।
- कार्नर की सम्पत्तियों पर भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
- वर्तमान में पंजीकरण धनराशि पर कोई जीएसटी देय नहीं है, परन्तु प्रदेशन पत्र जारी होने पर यदि जीएसटी देय होता है तो पंजीकरण धनराशि एवं किस्तों की देय धनराशि पर जीएसटी अलग से देय होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा।
- सम्पत्तियों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है, जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- भूखण्ड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

भुगतान का तरीका

1.1 पंजीकरण आवंटन हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर 50 प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 72 मासिक किश्तों में 11.5 प्रतिशत साधारण ब्याज से देय होगा।

1.2 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर अतिरिक्त ब्याज दर (दण्ड ब्याज) सामान्य दर 11.5% के अतिरिक्त 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से अर्थात 13.5% वार्षिक देय होगा। बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

1.3 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

1.4 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही नकद बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ''उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद'/"UPAVP" के नाम जो मेरठ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। RTGS/NEFT एवं आनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि मांग–पत्र/प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

आवंटन नियम

2.1 परिषद/शासनादेशो के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी। विवरण परिशिष्ट–अ के अनुसार।

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार निर्धारित बैंक द्वारा उनके आवेदन–पत्र में दिये गये खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।

2.3 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होगें। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग से एक साथ रहने के आधार पर भूखण्डों की उपलब्ध की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदको की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।

2.4 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी। ग्रुप लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

2.5 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा भूखण्ड के कुल मूल्य का 1% प्रतिशत अथवा परिवर्तन के समय जो लागू हो, निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन भूखण्ड के विक्रय विलेख–निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा/आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

3.6 भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.5 यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

4.6 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।

4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।

4.8 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।

भुगतान का तरीका

5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन की तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाईन भी जमा की जा सकेगी तथा शेष धनराशि 72 मासिक किश्तों में देय होगी।

5.2 भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा में आवेदक के पक्ष में आवंटित किया जायेगा।

5.3 सम्पत्तियां पूर्ण भुगतान/किश्त क्रय पद्धति पर आवेदकों के आधार पर आवंटित की जायेगी। समीकृत मासिक किश्तों में रु. 10.00 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर 9.50 प्रतिशत एवं रु. 10.00 से 25.00 लाख तक के विक्रय मूल्य पर 10.50 प्रतिशत एवं 25.00 लाख से अधिक की सम्पत्तियों पर 11.50 प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ 2.0 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना करण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा।

5.4 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।

5.5 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि एवं देय ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

5.6 भुगतान मासिक किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा ऑनलाईन के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ''उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/UPAVP'' के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग–पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

सम्पत्ति आवंटन प्रक्रिया

6.1 परिषद/शासन आदेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह के आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में R.T.G.S. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

6.3 सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर भूखण्ड की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सुविधा है, अधिकार नहीं।

6.4 सामान्यतः आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्तियों का विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

6.5 पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.6 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणीवार पृथक–पृथक करते हुए पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

6.7 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

6.8 लाटरी की नियत तिथि, स्थान समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

6.9 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।

6.10 सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू–सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे तथा उसको नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन कराना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

7. आरक्षण :

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	————————तदैव————————
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	————————तदैव————————
4	मा0 विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)		हाईस्कूल प्रमाण–पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेन्शन पेपर का प्रमाण–पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोटः– उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशो के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में वापस कर दी जायेगी।

भूखण्ड का भौतिक कब्जा

9.1 मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 6 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।

9.3 बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन/मांगपत्र निर्गत होगा।

9.4 आवंटी द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.5 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रु. 50/– प्रतिदिन की दर से देना होगा।

तथ्यों का छिपाना

10.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

11.1 योजना आवासीय है। अतः भूखण्ड का प्रयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा। उल्लंघन किए जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय–विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

11.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

11.3 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

11.4 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अग्रेंजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें

2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 6 एवं 7 का) हिन्दी व अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें

3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंगेजी के बडे अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।

4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसें : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा

6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।

8 आवेदन पत्र में बिन्दु–6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी) हेतु 'HW' भरें।

9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से ..... एवं ..... में किसी एक को भरना होगा।

10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा। आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	**F**
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	**G**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	**D**
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	**O**

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रो में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ–जहाँ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें:–

आवेदक का परिवार :–

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है।

आय :–

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड :–

भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :–

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :–

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन–पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण–पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :–

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अर्न्तगत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवओं से तात्पर्य :–

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा इनके अधीन गठित नियमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :–

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :–

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :–

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :–

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण /जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्यः–

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य

उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियमक प्राधिकरण से है।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछला वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04

हारिजेन्टल आरक्षण	कोड
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	G
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
विस्थापित	W

शहर	कोड
मेरठ	083

योजना कोड	**251**

सम्पत्ति श्रेणी	कोड
भूखण्ड	R1-B

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरूष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी)	HW

भुगतान

पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार।

रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

समक्षः-आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

मै श्री/श्रीमती/कु0 ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र ..... निवासी ..... शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ किः—

1 मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तो दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।

2 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे के उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।

3 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूँगा / दूँगी।

4 मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2017—18 (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) में समस्त स्रोतों से मेरी कुल आय वार्षिक (रु. .....) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।

5 मैं ..... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे / मेरी ..... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता /करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री /श्रीमती ..... जो मेरे /मेरी ..... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

6 मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद् को दिया है तो परिषद् को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंकों की सूची

बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ पर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र तथा पंजीकरण धनराशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

पंजीकरण ..... से प्रारम्भ पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि.....

क्रमांक बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष संख्या
1. पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर–2 शास्त्री नगर, मेरठ (नोडल शाखा)	श्री उमेश कुमार प्रबन्धक	0121–2770489, 2769705
2. इण्डसइण्ड बैंक लिमिटेड 22 तेजगढ़ी शाखा, ग्राउण्ड फ्लोर, त्यागी मार्केट, गढ़ रोड, मेरठ	श्री करीम अहमद प्रबन्धक	0121–2604771

ऑनलाईन की सुविधा भी उपलब्ध है।

1. पंजीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट www.upavp.in पर उपलब्ध है। परिषद के आवंटित भूखण्ड की किश्तों को ऑन लाईन जमा करने की सुविधा परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के लिंक "Ledger View@Online Payment" पर उपलब्ध है। कृपया इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

नोट :–

- उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका जी.एस.टी. सहित निर्धारित शुल्क रु. 300/– देकर प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय समय से उपलब्ध होगी।

- पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड–5
शास्त्री नगर, मेरठ
मो. : 8795810040

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड–8
शास्त्री नगर, मेरठ
मो. : 8588877019

सम्पत्ति प्रबंधक
शास्त्री नगर, मेरठ
मो. : 8795810670

परिषद की जागृति विहार योजना–11(विस्तार), मेरठ में आवासीय भूखण्डों के आन–लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

परिषद की जागृति विहार योजना–11(विस्तार), मेरठ में विभिन्न आवासीय भूखण्डों के आन–लाइन पंजीकरण **(Online Registration)** में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :–

आन–लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration of Flats/Houses/Plots" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उसपर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैटस की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर, निवास–पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन–लाईन अपलोड/फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा **ई–रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।**

पंजीकरण धनराशि का भुगतान :–

उपरोक्तानुसार आन–लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीः–

- Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Flats/Houses/Plots"
- Click on concerning scheme's webpage link.
- Click on 'Apply Online' link & provide basic details and select property.
- Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
- Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card.**
- If applicant selected **'e-challan'** payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest **HDFC branch**.

उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

(**नोट**–डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ''**उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद**'' के पक्ष में देय होना चाहिए।)

उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ / प्रमाणपत्र / प्रपत्र दर्ज / अपलोड की जायेगी।
आन–लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (**फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति / आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा–पत्र, ई–चालान की प्रति आदि**) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें :–

वृन्दावन योजना–3, लखनऊ के पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता–

"सम्पत्ति प्रबंधक
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय–जागृति विहार योजना–11(विस्तार),
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलेक्स सेक्टर–9, शास्त्रीनगर,
मेरठ (उ0 प्र0)"
पिनकोड–250004

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी परिषद के

टॉल फ्री 1800-180-533 | दूरभाष 0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 300/–(जी.एस.टी. सहित)